



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 9 मई, 2022

बैशाख 19, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

संख्या 883(2)/77-4-22-33एन-14

लखनऊ, 9 मई, 2022

शुद्धि-पत्र

प0आ0-94

ग्राम गौसपुर टैना, उस्मानपुरे, अरनियाँ मौजपुर एवं अरनियाँ मंसूरपुर (रेलवे लाईन के उत्तर का भाग) को उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अनाधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 883/77-4-22-33एन-14, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के अंग्रेजी आलेख के क्रमांक-11 पर त्रुटिवश निम्नवत् अंकित हो गया है :-

Name of the Villages (District-Bulandshahar)

Sl. no.	Name of Village	Area (In Hectares)	Name of Tehsil
11	Arniya Mansurpur	489	Arniya

2-उक्त क्रमांक-11 पर तहसील 'Arniya' के स्थान पर 'Khurja' पढ़ा एवं समझा जाय।

3-इस सीमा तक अधिसूचना संख्या 883/77-4-22-33एन-14, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 को संशोधित की जाती है। अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 46 राजपत्र-2022-(79)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 2 सा0 औद्योगिक विकास-2022-(80)-100 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 19 अप्रैल, 2022

चैत्र 29, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-4

संख्या 883/77-4-22-33एन-14

लखनऊ, 19 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

प0आ0-82

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1402/77-4-16-33एन-14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 में संशोधन करती हैं।

राज्यपाल अग्रतर यह घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों से समाविष्ट क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, न्यू खुर्जा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित क्रम संख्या-1 में, निम्नलिखित ग्रामों से संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी :-

ग्रामों के नाम (जिला-बुलंदशहर)

क्रम संख्या	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	तहसील का नाम
8	गौसपुर टैना	316	खुर्जा
9	उस्मापुर	457	खुर्जा
10	अरनिया मौजपुर	432	खुर्जा
11	अरनिया मंसूरपुर	489	खुर्जा

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 883 /LXXVII-4-21-33N -14, dated April 19, 2022 for general information :

No. 883 /LXXVII-4-21-33N -14

Dated Lucknow, April 19, 2022

IN exercise of the powers under clause (d) of section 2 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act. no. 6 of 1976) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no 1 of 1904), the Governor is pleased to amend the notification no.1402/ LXXVII-4-16-33N-14 dated December 11, 2015.

The Governor is further pleased to declare that the area comprising the villages mentioned in the Schedule below shall be excluded in the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA).

AMENDMENT

In the aforesaid notification in the Schedule, in serial no 1 related to New Khurja Industrial Area, the entries relating to the following villages shall be omitted :-

NAME OF THE VILLAGES (DISTRICT - BULANDSHAHR)

Sl. no.	Name of Village	Area (In Hectares)	Name of Tehsil
8	Gauspur Taina	316	Khurja
9	Usmapur	457	Khurja
10	Arniya Maujpur	432	Khurja
11	Arniya Mansurpur	489	Arniya

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.